



153

माननीय अध्यक्ष महोदय, रा०म० ग्वायिलर केम्प, भोपाल

प्रकरण कं०.....

C.F. 8-1-13

R-245-PBR/13

मो० सदाकत पुत्र स्व०श्री मो० लियाकत
निवासी-ग्राम नजीराबाद, पंचायत भवन
के पास, तह० बैरसिया, जिला भोपाल---**प्रार्थी**
विरुद्ध

Enkayus

श्री श्रीरेड् मिश्रा
अभिभाषक द्वारा
जाज दिनांक 7-1-13
को भोपाल केम्प
पर प्रस्तुत

- (1) **मेहमूदा** पत्नि श्री हसीब खान (पत्न्यागत)
पुत्री श्री लियाकत खां,
निवासी-म०नं०-5, भोपाल टॉकिज रोड,
मुसाफिर खाने के पीछे, भोपाल
- (2) **श्रीमती अख्तर** पत्नि श्री बाबू खां (पत्न्यागत)
पुत्री श्री लियाकत खां
निवासी-हनीफ कॉलोनी, हुसैनी मस्जिद
के पास, करोंद, भोपाल
- (3) **श्रीमती आमना खातून** पत्नि श्री जब्बार मियां
पुत्री श्री लियाकत खां
निवासी-भोपाल टॉकिज, सैफिया कॉलेज रोड,
मुसाफिर खाने के पीछे, भोपाल
- (4) **शोएब** पुत्र श्री मुन्नू खां माता सईदा खान
निवासी-कबीटपुरा, शाहजहांनाबाद, भोपाल
- (5) **भूरी** पत्नि श्री ताज अली पुत्री श्री मुन्नू खां
निवासी-बाग मुपती साहब,
शाहजहांनाबाद, भोपाल
- (6) **श्रीमती फरीदा** पत्नि श्री लियाकत खां
निवासी-ऐशबाग थाने के सामने,
गली में, भोपाल म०प्र०

7-1-13

16-1-13

---**प्रतिप्रार्थीगण**

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा-50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता-1959
विरुद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी महोदय, तहसील बैरसिया
भोपाल प्र०कं०-33/अपील/11-12 आदेश 13.12.12 से असंतुष्ट
होकर यह पुनरीक्षण समयावधि में प्रस्तुत है

महोदय,

प्रार्थी निम्नानुसार निवेदन करता है -

- (1) यह कि पुनरीक्षण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि
प्रतिप्रार्थी कं०-1 द्वारा माननीय अधिनस्थ अनुविभागीय

निरंतर...2...

Handwritten signature and initials at the bottom left.

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-245-PBR/13

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-03-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हो।</p>	


28/3/19


अध्यक्ष